पत्रांक :– 7/ए01–129/012–809

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

आशुतोष,(भा०प्र०से०)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक-- 05/12/012

विषयः-- **राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक तथा मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रभार दिये जाने के संबंध में मार्गनिदेश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न श्रोतों से शिकायतें मिल रही है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में अलग--अलग मापदण्ड अपनाये जा रहे हैं। प्रभार के बिन्दुओं पर प्रत्येक स्तर पर स्पष्टता नहीं होने के कारण मनमाने ढंग से विद्यालयों के प्रभारी बनाये जाने के कारण कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव विद्यालय के विकास, मध्याह्न भोजन योजना के संचालन एवं पठन–पाठन पर पड़ रहा है।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में निम्नप्रकार प्रभारी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है:–

<u>प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक का प्रभार :–</u>

प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद सृजित नहीं है। वरीयतम शिक्षक ही विद्यालय के प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अतएव प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के बीच निम्न विकल्पों के अनुसार प्रधान शिक्षक बनाया जाए :–

(i) यदि विद्यालय में वेतनमान के जिला संवर्ग के प्रशिक्षित शिक्षक हैं तो प्रथमतः वे विद्यालय के प्रधान शिक्षक होंगे। जिला संवर्ग के एक से अधिक प्रशिक्षित शिक्षक होने पर वरीयतम शिक्षक प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। जिला संवर्ग के प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होने पर ही संवर्ग के अप्रशिक्षित शिक्षक को प्रभारी बनया जाए।

(ii) यदि विद्यालय में जिला संवर्ग के शिक्षक नहीं हो तभी नियोजित शिक्षकों में से वरीयतम प्रशिक्षित शिक्षक को प्रधान शिक्षक बनाया जाय। नियोजित शिक्षकों में वरीय कौन होंगे इसका निर्धारण पत्र की कंडिका–3 के अनुसार किया जायेगा।

04/12/12

मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार :–

प्रत्येक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है। जिन मध्य विद्यालयों में नियमित रूप से प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रधानाध्यापक का पदस्थापन नहीं किया गया है अथवा नजदीक (बगल) के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रभार नहीं दिया गया है, उन विद्यालयो में निम्नरूपेण प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार दिया जाए :–

(i) विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक' वेतनमान में कार्यरत वरीयतम शिक्षक को प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार दिया जाय। स्नातक वेतनमान के शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर मैट्रिक प्रशिक्षित अथवा (शारीरिक प्रशिक्षित सहित) के जिला संवर्ग के वरीयतम शिक्षक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार दिया जाए।

उक्त कोटि के शिक्षक के अभाव में जिला संवर्ग के वरीय अप्रशिक्षित शिक्षक को भी प्रभार दिया जा सकेगा।

(ii) नियोजित शिक्षकों को सी०डब्लू०जे०सी० संख्या– 6724/08. में दिनांक–23.01.2012 को पारित आदेश के आलोक में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार नहीं दिया जा सकता है। आदेश के उल्लंघन करनेवाले पदाधिकारी दण्ड के भागी होंगे।

(iii) यदि किसी मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं हो वहां पर विद्यालय के संचालन हेतु नियोजित शिक्षकों में से वरीयतम शिक्षक को प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने का आदेश निर्गत किया जाए, जिनके द्वारा विद्यालय के दिनानुदिन के कार्यों का निष्पादन किया जाएगा किन्तु विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार अगल–बगल के विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। ऐसे विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक से संबंधित निर्गत आदेश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के वित्तीय कार्य (विद्यालय कोष) का संपादन किया जा सकेगा।

3. **नियोजित शिक्षकों की आपसी वरीयता** :–

नियोजित शिक्षकों की आपसी वरीयता निम्नवत निर्धारित की जायेगी :–

(i) दिनांक–01.07.2006 के पूर्व के नियोजित शिक्षा मित्र नियोजन नियमावली 2006 के अनुसार दिनांक–01.07.2006 से पंचायत/प्रखंड/नगर शिक्षक के रूप में सामंजित किये गये है। इसलिए पंचायत/प्रखंड/नगर शिक्षक के रूप में उनके नियोजन की तिथि 01.07.2006 मानी जायेगी।

(ii) नियोजित शिक्षकों के समान ग्रेड के प्रशिक्षित शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक से वरीय होंगे।

(iii) नियोजित शिक्षकों (शारीरिक शिक्षकों सहित) की वरीयता उनके योगदान की तिथि के अनुसार तैयार की जायेगी। जिनके योगदान की तिथि पहले होगी वे शिक्षक बाद में योगदान करने वाले शिक्षक से वरीय होगें। नियोजन की तिथि एवं योगदान की तिथि एक होने पर उनकी वरीयता जन्मतिथि के

[illegible] से तय की जायेगी। जिस शिक्षक की जन्मतिथि पहले होगी, वरीयता में उनका स्थान ऊपर होगा। जन्मतिथि समान होने पर उनके नाम के अंग्रेजी शब्दकोष के अनुसार बढ़ते क्रम में वरीयता निर्धारित की जायेगी।

प्रशिक्षित के उपरान्त उपर्युक्त के अनुसार ही अप्रशिक्षित शिक्षकों की वरीयता भी तय की जाएगी।

(iv) स्नातक शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षक, बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों से वरीय होंगे। स्नातक शिक्षकों में भी प्रशिक्षित शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक से वरीय होंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय के संचालन हेतु उपर्युक्त प्रभारी व्यवस्था अपने ही वेतनमान/नियत वेतन पर अस्थायी रूप से किया जाएगा तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। साथ ही विद्यालय का प्रभार देने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लिया जाए कि यदि संबंधित शिक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला संवर्ग के नवनियुक्त शिक्षक अथवा नियोजित शिक्षक हो तो उनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो गया हो। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रमाण पत्रों की जाँच प्राथमिकता के आधार पर करा ली जाय।

विश्वासभाजन,

(आशुतोष)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।